(68)

माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर म.प्र.

प्रकरण क्रमांक :   / 2016 पुनरीक्षण   AJT – U31 – III – 16

प्रहलादसिंह पिता भंवरजी उर्फ भंवरलाल गेहलोत
आयु 45 वर्ष, धंधा खेती
निवासी ग्राम बांसला, तहसील शुजालपुर जि. शाजापुर
.... आवेदक

विरुद्ध

1. क्षमाबाई पुत्री गंगाधर पत्नी रमेशचन्द्र
आयु 42 वर्ष जाति सुतार, धंधा गृहकार्य
निवासी ग्राम अरनियाकलाँ, तहसील कालापीपल
जिला शाजापुर म.प्र.
2. म.प्र.शासन द्वारा कलेक्टर जिला शाजापुर
3. म.प्र.शासन द्वारा तहसीलदार शुजालपुर जि. शाजापुर
............अनावेदकगण

Mehmood Ali Siddiqui Adv.

NDOH 17/2/2016

तहसीलदार शुजालपुर के न्यायालय के प्रकरण क्षमाबाई विरूद्ध शासन क्रमांक 46 अ 6/2010–2011 नामान्तरण में पारित आदेश दिनांक 27.07.2011 छल, कपट, बेईमानी से बिना अधिकारिता के प्राप्त करने के प्रारम्भतया अवैध एवं शून्य व आज्ञापक प्रावधानों के उल्लंघन एवं अतिक्रमण कर पारित आदेश से असंतुष्ट एवं दुःखी होने से उसे अपास्त करने हेतु निगरानी।

मान्यवर महोदय,

आवेदक का सविनय निवेदन निम्नानुसार है कि :–

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य

वर्षो से शासकीय अभिलेखों में मुझ आवेदक की पैतृक भूमि कुल किता 38 रकबा 14.714 हेक्टर ग्राम बांसला तहसील शुजालपुर जिला शाजापुर मध्यप्रदेश में स्थित है। मेरे पिता भंवर उर्फ भंवरलाल गेहलोत को उनके पिता से उक्त भूमि विरासत में मिली है। निगरानीग्रस्त भूमि का विवरण निगरानी के साथ संलग्न परिशिष्ट "अ" में दिया है, निगरानी का अंग है। मुझ आवेदक के पिता की मृत्यु दिनांक 10.01.2001 को होने से मैं उक्त पैतृक सम्पत्ति (भूमि) का इकलौता वारिस होने से विधितया मैं ही उक्त भूमि का मालिक व काबिज हूँ। अनावेदक के पिता गंगाधर पिता भेरूलाल निवासी ग्राम अरनियाकलां

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

जिला उज्जैन

प्रकरण कमांक निगरानी 431–तीन/2016

प्रहलाद सिंह विरूद्ध क्षमाबाई

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17 –2–2016	आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार शुजालपुर जिला शाजापुर के प्रकरण कमांक 46/अ–6/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 27–7–2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। निगरानी के साथ संहिता की धारा 48 का आवेदन पेश किया है। 2/ आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया तथा निगरानी के साथ प्रकरण में संलग्न आदेश की प्रति का अवलोकन किया, जिससे स्पष्ट है कि आवेदक ने तहसीलदार द्वारा नामांतरण प्रकरण में अंतिम आदेश पारित किया है। तहसीलदार का उक्त आदेश अपीलीय योग्य है जबकि आवेदक द्वारा निगरानी में चुनौती दी गई है। अतः अपीलीय आदेश के विरूद्ध निगरानी वर्जित होने से अग्राह्य की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (डॉ0 मधु खरे) सदस्य	